2016/00461

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बहजलास अनिल गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 17/16 राजस्व अपील

सुखदेव सिंह पुत्र मेमाराम जाति जाट निवासी 3 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट,1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री बच्छराज कोठारी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट हाजिर नहीं।

: निर्णय :

दिनांक 22.01.2018

1. उपर्युक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.3.2015 जिसकी रूह से अपीलान्ट के पिता स्व. पेमाराम की वसीयत पंजीबद्ध दिनांक 10.9.99 के अनुसार इंतकाल दर्ज करने का आदेश देने की बजाय 9.16 बीधा भूमि विरास्तन दर्ज करने का आदेश दिया गया है को निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील अंदर मियाद मानने हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 5 एवं 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 5 के.एल.डी. हाल चक 3 के.एल.डी. के मु.नं. 236/30 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 9.16 बीधा कमाण्ड मोबूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट को पुख्ता आवंटन थी, जिसकी खातेदारी सनद 20.12.87 को जारी हुई। इसी चक के मु.नं. 236/30 किला नम्बर 11 ता 18 तादादी 07 बीधा 18 बिस्वा व किला नम्बर 23 ता 25 में 3 बीधा कुल 10.18 बीधा भूमि पेमाराम पुत्र मोबूराम जाट के विरूद्ध पुख्ता आवंटन तथा बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। मोबूराम के स्वर्गवास होने के बाद उक्त 9.16 बीधा भूमि स्वर्गीय मोबूराम के सभी वारिशों के नाम दर्ज की गई। मोबूराम के वारिशान ने अपना हिस्सा व हक जरिये रिलीज डीड पेमाराम के नाम कर दिया। इस प्रकार पेमाराम 20.14 बीधा का खातेदार काबिज काश्तकार था। मोबूराम के वारिशान को अपने हिस्से की भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त थे, इसलिये उन्होंने पेमाराम के हक में रिलीज की। तहसीलदार, खाजूवाला के आदेश दिनांक 24.3.15 की पालना में इंतकाल नम्बर 163 दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त योग्य है। वादगत सम्पति 9.16 बीधा पैतृक नहीं थी, ना ही हो सकती थी, क्योंकि स्वर्गीय मोबूराम का निधन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के लागू होने के बाद हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जा कर चक 3 के.एल.डी. के मु.नं. 236/30 के किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 9.16 बीधा अपीलान्ट के नाम वसीयत के अनुसार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जहां तक अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने का बिन्दु है, इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसके काऊन्टर में रेस्पोडेन्ट की और से कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 42/14 निर्णय दिनांक 24.3.15 में यह उल्लेख किया है कि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उपरोक्त भूमि पेमाराम पुत्र मोबूराम जाट की खातेदारी दर्ज है। पेमाराम पुत्र मोबूराम ने अपने जीवन काल में भूमि की वसीयत अपने पुत्र सुखदेव के नाम से करवाई थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पेमाराम पुत्र मोबूराम के नाम चक 5 के.एल.डी. के मु.नं. 236/30 के किला नम्बर 1 ता 10 में 9.16 बीधा पैतृक भूमि है, व किला नं. 11 ता 18 व 23 ता 25 में 10.18 बीधा भूमि स्वःअर्जित है, जिस पर पेमाराम के परिवार का कब्जा काश्त है। गवाहन नारायणराम पुत्र हेताराम ने वसीयत को सही व सत्य बताया है। आम सूचना जारी करने के पश्चात् कोई उजर एतराज नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलार्थी के पक्ष में की गई वसीयत को किस आधार पर नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया यह स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.15 एवं इसकी पालना में की गई कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित पक्षकार को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला को प्रेषित की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक **22.01.18** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर